न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सायर बनाम मीरा

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 218/2025 (अजमेर)

12/5/25

श्री मौहम्मद इकबाल

सायर देवी बनाम मीरा वगैरह (2025/218)

09.05.2025 यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 14/2025 में पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 12.05.2025 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

12.05.2025 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजीयात अपीलांट की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसके रिकार्डेड खातेदार काश्तकारी नाथू वल्द लक्ष्मण थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात जरिये नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 25.05.1989 को खाता संख्या 193 का रकबा 22 बिघा 10 बिस्वांसी अपीलांट के पति महादेव के हक में विरासतन प्राप्त हुआ जो कि जमाबंदी संवत 2041 में पूर्ण रूप से अंकित है, जिसके पश्चात भू–प्रंबंध विभाग के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात का बिना किसी क्षेत्राधिकार के इन्द्राज परिवर्तन करते हुए उपरोक्त खसरा नम्बर को रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया, जिसका कि भू–प्रबंध विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया।

उक्त अविधिक आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यदि वे सफल हो गये तो अपीलांट की अपील प्रस्तुत करने का सार समाप्त हो जावेगा और अपीलांट को हाने वाली क्षति की पूर्ति नही हो पाएगी।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करते हुए अपीलाधीन आराजीयात खसरा नम्बर 1569/4132 रकबा 0.30 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.27 हैक्टयर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति तथा अपील एवं अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया, जिसे दिनांक 11.02.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सायर बनाम मीरा

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 218/2025 (अजमेर)

मगतार

अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशीयां दी जाती रही। दिनांक 07.04.2025 को अप्रार्थी के नोटिस तामिल नहीं हो पाये एवं अभिभाषक अपीलांट द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत सुनवाई किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनना पाया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें तब वादग्रस्त आराजीयात ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर अवस्थित आराजी खसरा संख्या 1569/4132 रकबा 0.30 है0, खसरा संख्या 1569 रकबा 0.27 है, के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। अभिभाषक अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करे। अधीनस्थ न्यायालय विधि अनुसार अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तलबी पूर्ण करें। अभिभाषक अपीलांट/ प्रार्थी अप्रार्थी का जवाब पेश होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर आवश्यक रूप से बहस हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर
अपील टी.ए. संख्या 218/2025 जिला अजमेर

2025/218

1. श्रीमती सायर देवी धर्मपत्नी स्व. श्री महादेव

2. जेठूलाल पुत्र स्व. श्री महादेव

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर।

-- अपीलान्ट

बनाम्

218/2025
9/5/25

1. श्रीमती मीरा धर्मपत्नी आनन्द रामनानी, जाति सिंधी, निवासी नया बाजार, अजमेर।

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, अजमेर।

3. उपपंजीयक महोदय अजमेर।

-- रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) महोदय अजमेर अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2025 दिनांक 07.04.2025 बउनवानी श्रीमती सायर देवी बनाम श्रीमती मीरा

श्रीमान्‌जी,

अपीलान्ट अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते है कि:-

यह कि अपीलान्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम माकड़वाली, तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है, जिसका विस्तृत वर्णन जमाबन्दी संवत् 2065 से 2084 के अनुसार इस प्रकार है:-

Scanned with CamScanner